

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:-एफ. 3(212)नवि/3/2011

दिनांक:- 13 SEP 2011

आदेश

राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम, 31 एवं राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नांकित प्रकरणों में शिथिलता प्रदान करते हुए भवन निर्माण अवधि बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान करती है :-

1. राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम, 15-ए को दृष्टिगत रखते हुए समय-समय पर जारी आदेशों के अन्तर्गत कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग संबंधित प्रकरणों का नियमन/आवंटन धारा 90बी भू-राजस्व अधिनियम 1956 सपडित धारा 54बी जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम-1982, धारा 49 जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम- 2009, नगर सुधार अधिनियम-1959 व धारा 71 राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अन्तर्गत किया जाकर पट्टा विलेख (लीज-डीड) जारी किये जा रहे हैं। किन्तु ऐसे नियमित/आवंटित भूखण्ड चाहे वह निजी खातेदारी योजना अथवा गृह निर्माण सहकारी समिति के माध्यम से क्रय किये गये हैं, उन भूखण्डों पर निर्माण नहीं करने की शास्ति किस दर पर कब से वसूली योग्य है, इस संबंध में विभिन्न निकायों के द्वारा भिन्न प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

अतः निजी खातेदारी भूमि/गृह निर्माण सहकारी समिति से क्रय की गई भूमि के संबंध में धारा 90बी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत आदेश पारित होने के पश्चात पट्टा विलेख (लीज डीड) संबंधित नगरीय निकाय द्वारा जारी करने की दिनांक से 10 वर्ष की समयावधि में भवन निर्माण नहीं किए जाने की स्थिति में भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त माना जावे व 10 वर्ष की अवधि के पश्चात भूखण्डधारी से संबंधित प्रश्न की सामान्य आपासीय नियमन/आवंटन दर की चार गुणा राशि को आरक्षित दर माना जाकर उक्त आरक्षित दर की 5 प्रतिशत राशि प्रतिवर्ष शास्ति के रूप में वसूल की जाकर भूखण्ड का नियमन किया जावे।

उक्त आदेश तुरन्त प्रवृत्त होगा किन्तु पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा व जमा राशि पुनः लौटाई नहीं जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह सन्धु)  
प्रमुख शासन सचिव

(512)

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
6. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
7. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर।
8. आयुक्त, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर को समस्त स्थानीय निकायों को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिये।
9. सभी संभागीय आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त जिला कलेक्टर।
11. शासन उप सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. मुख्य नगर नियोजक/मुख्य नगर नियोजक (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)
13. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास।
14. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
15. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16. रक्षित पत्रावली।

13/9/2011  
शासन उप सचिव-तृतीय